संख्या:538/2021/2515/35-4-2021

प्रेषक,

ऋषिकेश दुबे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अयोध्या।

नियोजन अनुभाग-4 दिनांक: 20 दिसम्बर, 2021

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नियोजन विभाग के शासनादेश सं0-496/2021/2405/35-4-2021 दिनांक 16 दिसम्बर, 2021 द्वारा त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत जनपद-अयोध्या की विधानसभा क्षेत्र-मिल्कीपुर के 22 कार्यों की रू. **224.21** लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. **205.62** लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। उपर्युक्त शासनादेश की तालिका में फांट की त्रुटि से अनुमोदित लागत की धनराशि त्रुटिपूर्ण अंकित हो गयीं हैं। इसको निम्नवत पढ़ा जायेगा:-

(लाख रू. में)

	कार्य	**लम्बाई (मी0)**	**अनुमोदित लागत**	**अवमुक्त धनराशि**
1.	घटौली चितौरा सम्पर्क मार्ग से गणेश शंकर दुबे के घर तक पुरे चिन्तादुबे घटौली सी0सी0 कार्य।	185	13.58	13.58
2.	भखौली सम्पर्क मार्ग से रामजतन शंकर सिंह के घर तक सी0सी0 कार्य।	105	8.12	8.12
3.	भिटारा गद्दोपुर सम्पर्क मार्ग से पुरे सुफल शुक्ल तक सी0सी0 कार्य।	290	20.16	15.00
4.	गद्दोपुर में बाबूराम के घर से अरविन्द सिंह के घर तक सी0सी0 कार्य।	225	16.14	15.00
5.	धरौली में जितेन्द्र शुक्ला के घर तक सी0सी0 कार्य।	140	10.66	10.66
6.	डयोढ़ी अमानीगंज प्रधानमंत्री सम्पर्क मार्ग से राम जानकी महाविद्यालय रामनगर तक सी0सी0 कार्य।	210	22.34	15.00
7.	बराई पारा में विजय मिश्रा के घर से राम अजोर के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य	140	6.71	6.71
8.	तमसा नदी के पुल से ग्राम पंचायत गोठवारा तक सी0सी0 कार्य।	245	19.95	15.00
9.	पलिया जगमोहन पुरे बहिरा में सुशील मिश्रा के घर तक सी0सी0 कार्य।	210	14.39	14.39
10.	कुचैरा मजनाई सम्पर्क मार्ग से पुरे पलिया जगमोहन सिंह बरियादेई विनय तिवारी के घर तक सी0सी0 कार्य।	110	8.38	8.38
11.	अजरौली पुरे रामचरन पाण्डेय में दिवाकर पाण्डेय के घर तक सी0सी0 कार्य।	150	10.65	10.65
12.	रामपुरवा में बनमानुष बस्ती में जगदेव के नलकूप से दुल्ला तारा तालाब तक सोलिंग कार्य।	380	8.31	8.31
13.	मार्डन पब्लिक स्कूल तरौली तक इण्टरलॉकिंग कार्य।	75	4.18	4.18
14.	कहुवा कालीचरन धौरहरा सम्पर्क मार्ग से पुरे अम्बक पाण्डेय के घर तक सोलिंग कार्य।	215	3.88	3.88
15.	अछोरा पुरे गुलजार में दिनेश चौबे के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	180	9.49	9.49
16.	देवना छोटकातुलापुर में रजनीश पांडये के घर तक खड़ण्जा कार्य।	500	8.75	8.75
17.	घाटमपुर में हरिनाथ के घर से भूपेन्द्र के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य	125	6.00	6.00
18.	घुरेहटा रूहीहन में सी0सी0 कार्य।	70	4.27	4.27
19.	निमड़ी में रेहड़ी सम्पर्क पर रामचन्दर के घर बगल होते हुए अतुल पाठक के घर तक पुरे सुखमंगल पण्डित तक खड़ण्जा कार्य।	230	3.97	3.97

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	कार्य	लम्बाई (मी0)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि
20.	घुरेहटा में जहानपुर सम्पर्क मार्ग से गोरखनाथ के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य।	150	8.75	8.75
21.	ऊरूवा वैश्य में पुरे जमोलिया पुनपुन रैदास के घर से सेमरा बार्डर तक सी0सी0 कार्य।	150	11.21	11.21
22.	प्राथमिक विद्यालय डीहभरथी से चिखड़ी बार्डर तक खड़ण्जा कार्य।	250	4.32	4.32
	योग:	**4335**	**224.21**	**205.62**

2. उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक रदिसम्ब 16, 2021 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। शासनादेश की शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(ऋषिकेश दुबे)
विशेष सचिव।

संख्या:538/2021/2515(1)/35-4-2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, अयोध्या मण्डल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, अयोध्या।
9- मुख्य विकास अधिकारी, अयोध्या।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अयोध्या।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, अयोध्या।
13- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, अयोध्या।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दुबे)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।